961

[2022] 2 एस. सी. आर 961

क.

तारलोचन सिंह @राणा बनाम।

पंजाब राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 293) 29 मार्च, 2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

शस्त्र अधिनियम, 1959:एसएस।29 और 30-बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से जानबूझकर हथियार आदि खरीदने या हथियार आदि वितरित करने के लिए दंड-लाइसेंस या नियम के उल्लंघन के लिए दंड-अभियोजन मामला कि अपीलार्थी डबल बैरल 12 बोर राइफल का लाइसेंस धारक था, जिसका उपयोग मृतक की हत्या में किया गया था और जो अन्य सह-अभियुक्त द्वारा रची गई साजिश का हिस्सा था-अपीलार्थी यू/एस.29 और 30, और यू/एस।120-बी आई. पी. सी. और तदनुसार सजा-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी यू/एस को बरी कर दिया।120-बी आई. पी. सी. ने हालांकि यू/एस. एस. की सजा को बरकरार रखा। 29 और 30-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःअपीलार्थी पर एस का आरोप लगाया जा सकता था।29(ख) अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित होने के बाद ही कि उसने सह-अभियुक्त को जानबूझकर और जानबूझकर आग्नेयास्त्र दिया था-यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा सह-अभियुक्त को आग्नेयास्त्र सौंपा गया था-इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त ने अपीलार्थी की अनुमति और जानकारी के बिना अवैध रूप से अनुज्ञापत्र प्राप्त आग्नेयास्त्र लिया और मृतक की हत्या करने के लिए उक्त शस्त्र का उपयोग किया-इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि यू/एस।29 टिकाऊ नहीं-इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की किसी भी शर्त या लाइसेंस की शर्तों या अधिनियम या किसी नियम के किसी भी प्रावधान के किसी भी जानबूझकर उल्लंघन को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इस प्रकार, एस के अपराध से बरी किया गया है। 30 साथ ही-अपीलार्थी यू/एस. एस. को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय का आदेश।29 और 30 अलग रख दें।

ग

डी.

ई.

च

आपराधिक अपील क्षेत्राअधिकार : 2018 की आपराधिक अपील संख्या 293।

जी.

2011 की आपराधिक अपील No.CRA-D-1033-DB में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 27.02.2017 के निर्णय और आदेश से।

एच.

961

962

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

क.

ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री कामाक्षी एस. महलवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री जसप्रित गोगिया, करणवीर गोगिया, सुश्री शिवांगी सिंघल, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी**,** न्या**.**

यह अपील निर्णय और अंतिम आदेश dt.27.02 के खिलाफ निर्देशित है।2017 चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (इसके बाद 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा आपराधिक अपील सं। 2011 का सी. आर. ए.-डी.-1033-डी. बी., जिसके तहत उच्च न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, हालांकि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की धारा 29 और 30 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा, जिसके तहत अपीलार्थी को शस्त्र अधिनियम की धारा 29 के तहत 3 साल के लिए कठोर कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत 3 महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

ग

डी.

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि एक गुरदीप सिंह (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की मृत्यु के संबंध में एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त होने पर, इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह, पीएस सदर रूपनगर (इसके बाद 'जांच अधिकारी/आईओ') मौके पर पहुंचे और एक श्रीमती का बयान दर्ज किया। सुखजीत कौर (ए 3), मृतक गुरदीप सिंह की पत्नी जिसमें उसने कहा कि उसकी शादी मृतक से आई. डी. 1 पर हुई थी, शादी के बाद मृतक दुबई लौट आया जहाँ वह एक ट्रक चालक के रूप में काम करता था और उसे अपनी सास के साथ अपने वैवाहिक घर में रहने के लिए छोड़ दिया।मृतक 01.08.2007 पर भारत लौटी और 03.08.2007 पर वह मृतक के साथ गाँव किशनपुरा में अपने पैतृक घर गई, अगले दिन वे दोनों अपने भाई की बुलेट मोटरसाइकिल पर नं. पीबी-12-एफ-3805, इसके बाद, लौटते समय उसने मृतक को गाँव बहमन माजरा के बाहरी इलाके में एक झाड़ी के पास रुकने के लिए कहा ताकि वह खुद को बचा सके, एक बार जब वह वापस आई तो मृतक ने उसे बताया कि दो लोग मोटरसाइकिल पर गाँव सिंह से आए थे, उनमें से एक के पास एक लंबी बैरल राइफल थी, वे उसके पास पहुंचे लेकिन कुछ ग्रामीणों को आते देख वे वापस चले गए।इसके बाद, सुबह लगभग 2 बजे सुखजीत कौर और मृतक अपनी नानी से मिलकर गाँव हफीज़ाबाद लौट रहे थे, जिस रास्ते में सुखजीत कौर का दुपट्टा मोटरसाइकिल के पहिये में उलझ गया, उसे हटाने के लिए ए

ई.

च

जी.

एच.

963

तारलोचन सिंह @राणा बनाम पंजाब राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

मृतक झुक गया और बाइक चला रहा था और जब सुखजीत कौर पहिये से दुपट्टा निकाल रही थी तो एक मच्छर उसकी आंख में घुस गया, उसी समय दो लोग मृतक के पास पहुंचे और उनमें से एक ने मृतक को गोली मार दी।जब तक सुखजीत कौर मुड़ी, हमलावर भाग चुके थे।

3. सुखजीत कौर के बयान के आधार पर पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 242 और शस्त्र अधिनियम की धारा 24 के तहत एफ. आई. आर. संख्या 119/2007 दर्ज की। रूपनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए थे और मृतक की मां श्रीमती। भूपिंदर कौर ने अपने बेटे के शव की पहचान की थी, जिसके बाद, एक जीत सिंह, पूर्व। गाँव अल्लौर के सरपंच ने आई. ओ. को बताया कि हत्या सुखजीत कौर ने अपने दोस्त/प्रेमी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू और एक सुखजिंदर सिंह की मिलीभगत से

की थी, जिसकी पुष्टि मृतक की माँ ने की थी।इसके बाद, <ID1] पर जीत सिंह और एक रंजीत सिंह ने सुखजीत कौर, गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू और सुखजिंदर सिंह को आई. ओ. के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जीत सिंह ने आगे पुलिस को सूचित किया कि गुरप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने एक-दूसरे से प्यार करने की बात स्वीकार की थी और तीनों अभियुक्तों ने उसके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।पुलिस हिरासत में रहते हुए आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू ने एक खुलासा बयान दिया कि उसने गांव सनाना में फार्म हाउस में कुछ ईंटों के नीचे छुपा कर एक खाली कारतुस/खोल रखा था, जिसके बाद आरोपी पुलिस को उसी की बरामदगी के लिए मौके पर ले गया।इसके बाद, पूछताछ के दौरान आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू को हिरासत में रहते हुए एक और खुलासा बयान का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने कहा कि उसने सनाना गांव में अपने फार्म हाउस में डबल बैरल 12 बोर की बंदूक को छिपा कर रखा था, जिसके बारे में केवल उसे ही पता था, उसे बरामद किया गया और उसके कहने पर पुलिस ने उसकी घेराबंदी की।बाद में आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू ने कहा कि बंदूक अपीलार्थी की थी, आई. ओ. द्वारा आगे की जांच में यह पाया गया कि मृतक की हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक अपीलार्थी के नाम पर लाइसेंस प्राप्त थी।इसके बाद, अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके प्रकटीकरण बयान dt.15.08 में।2007 उसने पुलिस को बताया कि उसने डबल बैरल 12 बोर बंदूक के लिए बंदूक का लाइसेंस अपने घर में रखा था, जिसके बारे में केवल उसे पता था, इसके बाद, अपीलार्थी पुलिस को अपने घर ले गया और लाइसेंस बरामद कर लिया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

4. इसके बाद, जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपनगर की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, रूपनगर को सौंप दिया क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य है।सत्र न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया एक मामले का निष्कर्ष निकालते हुए अभियुक्त पर निम्नलिखित आरोप लगाएः

एच.

ग

अपीलार्थी सहित अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया और दावा किया

मुकदमा।

5. मामले की पुष्टि करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने अट्ठाईस (28) गवाहों से पूछताछ की और सभी दोषपूर्ण साक्ष्य अभियुक्त व्यक्तियों के सामने रखे गए, लेकिन उन्होंने आरोपों से इनकार किया, दोनों अभियुक्त गुरप्रीत सिंह और अपीलार्थी ने कोई खुलासा बयान देने या उनसे कोई वसूली करने से इनकार किया, हालांकि अन्य दो अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विशिष्ट याचिका नहीं ली।निचली अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और निम्नलिखित सजा सुनाईः

डी.

ई.

च

जी.

एच.

965

तारलोचन सिंह @राणा बनाम पंजाब राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

क.

6. पीड़ित, अपीलार्थी ने एक आपराधिक अपील दायर की जिसमें सं. डी-1-33-डी. बी.-2011 उच्च न्यायालय के समक्ष, निचली अदालत के दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए।उच्च न्यायालय ने शस्त्र अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक स्थापित किया कि अपीलार्थी डबल बैरल 12 बोर राइफल का लाइसेंस धारक था, जिसका उपयोग आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू द्वारा मृतक की हत्या में किया गया था।इसके अलावा, अपीलार्थी के कहने पर पुलिस द्वारा लाइसेंस बरामद और जब्त कर लिया गया था, जबकि आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू के कहने पर पुलिस द्वारा डबल बैरल 12 बोर राइफल (हत्या का हथियार) बरामद किया गया था।

ग

डी.

7. हालाँकि, आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पाया कि पुलिस ने अपीलार्थी को केवल शस्त्र अधिनियम की धारा 25,27,29 और 30 के तहत गिरफ्तार किया था और आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 120-बी के तहत अपराध अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ न तो आरोप लगाए गए थे और न ही साबित किए गए थे, और इस प्रकार निचली अदालत ने गलत तरीके से दोषी ठहराया था और इस संबंध में अपीलार्थी को सजा सुनाई थी।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत अपराध से बरी करने की सीमा तक स्वीकार कर लिया, हालांकि इसने अपीलार्थी की धारा 29 और 30 शस्त्र अधिनियम के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए सी. जे. एम., रूपनगर को अपीलार्थी को हिरासत में लेने का निर्देश दिया ताकि उसे सजा के शेष हिस्से से गुजरना पड़े।

ई.

च

8. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

जी.

10. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए. सिराजुद्दीन का तर्क है कि अपराध अपीलार्थी की जानकारी के बिना किया गया था, क्योंकि अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू ने अपीलार्थी और अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू के सह-स्वामित्व वाले फार्महाउस से अवैध रूप से डबल बैरल 12 बोर राइफल ली थी, जिसके बाद उसने हत्या करने में उक्त राइफल का इस्तेमाल किया था।

एच.

11. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि हालाँकि अपीलकर्ता डबल बैरल 12 बोर राइफल के लिए लाइसेंस धारक था, लेकिन उसने स्वेच्छा से अपनी राइफल नहीं छोड़ी थी और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा रची गई साजिश में उसका कोई हिस्सा नहीं था। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत अपराध से बरी करते हुए कहा था कि अपीलार्थी हथियार अधिनियम के तहत लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करते हुए हत्या करने के लिए स्वेच्छा से अपनी लाइसेंस प्राप्त राइफल आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू को नहीं सौंप सकता था।

12. प्रत्यर्थी राज्य की ओर से, पुलिस उपाधीक्षक (ग्रामीण), रूपनगर ने एक हलफनामे के माध्यम से लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता डबल बैरल 12 बोर राइफल का लाइसेंस धारक था जिसका उपयोग सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू द्वारा हत्या में किया गया था, यह अपीलार्थी का निहित कर्तव्य था, लाइसेंस धारक होने के नाते, उक्त आग्नेयास्त्रों को सुरक्षित हिरासत में रखना ताकि कोई भी अवैध रूप से उनका उपयोग या उन्हें हटा न सके।

ग

13. राज्य की विद्वान वकील सुश्री जसप्रित गोगिया ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने आग्नेयास्त्र की चोरी के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं की, जो उक्त आग्नेयास्त्र को संभालने में उसकी लापरवाही को दर्शाता है, इसके अलावा, अपीलार्थी ने इस तथ्य की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज या सबूत रिकॉर्ड में नहीं रखा है कि गांव सनावा में फार्म हाउस, वास्तव में अपीलार्थी और सह-अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू की सह-स्वामित्व वाली संपत्ति थी।

डी.

ई.

14. इसके बाद, अपीलार्थी के वकील ने जिला रोपड़ के गांव सनावा में खेत की जमीन/फार्म हाउस की जमाबंदी को रिकॉर्ड में रखा है जो बताता है कि फार्महाउस संयुक्त रूप से अपीलार्थी और आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू के स्वामित्व में था।अपीलार्थी के वकील ने आगे कहा कि हालांकि निचली अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष को फार्म हाउस के सह-स्वामित्व का सबूत पेश करने के लिए कहा था, लेकिन उक्त दस्तावेज़ के महत्व से अनजान अपीलार्थी इसे निचली अदालत के समक्ष दायर करने में विफल रहा, जिसके कारण निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से बंदूक सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू को सौंप दी थी और वह एक सह-साजिशकर्ता था।

च

जी.

15. मामले के रिकॉर्ड को देखने और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू को गोली ए की मिलीभगत से सौंपी थी।

एच.

967

तारलोचन सिंह @राणा बनाम पंजाब राज्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

उसके साथ मृतक की हत्या करने के लिए, ताकि उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 29 के तहत दोषी ठहराया जा सके। भले ही उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध से बरी कर दिया हो, लेकिन शस्त्र अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

16. शस्त्र अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" धारा 29-बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से जानबूझकर हथियार आदि खरीदने या उसे रखने के हकदार व्यक्ति को हथियार आदि देने के लिए दंड।¯ जो भी हो

(क) किसी अन्य व्यक्ति से कोई आग्नेयास्त्र या ऐसे वर्ग या विवरण का कोई अन्य हथियार जो निर्धारित किया जाए या कोई गोला-बारूद यह जानते हुए कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के तहत लाइसेंस प्राप्त या अधिकृत नहीं है, खरीदता है; या

ग

(ख) किसी भी हथियार या गोला-बारूद को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से यह सुनिश्चित किए बिना वितरित करता है कि ऐसा अन्य व्यक्ति इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के आधार पर रखने का हकदार है, और इस अधिनियम या ऐसी अन्य कानून द्वारा उसे अपने कब्जे में रखने से निषिद्ध नहीं है; वह 3 साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

डी.

ई.

17. अभियोजन पक्ष की कहानी के आलोक में, अपीलार्थी पर धारा 29 (बी) का आरोप लगाया जा सकता था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित होने के बाद ही कि उसने सह-अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू को जानबूझकर और जानबूझकर आग्नेयास्त्र दिया।यह साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह को आग्नेयास्त्र सौंपा गया था।इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि सह-अभियुक्त गुरप्रीत सिंह उर्फ टीटू ने अपीलार्थी की अनुमति और जानकारी के बिना अवैध रूप से उसका लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्र ले लिया और मृतक की हत्या करने के लिए उक्त हथियार का इस्तेमाल किया।मान लीजिए, आग की बंदूक को फार्म हाउस में रखा गया था, जो अपीलकर्ता और सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह का सह-स्वामित्व था और सह-आरोपी गुरप्रीत सिंह द्वारा अवैध रूप से और अपीलकर्ता की अनुमति के बिना वहां से ले जाया गया था।

च

जी.

18. यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, अपीलार्थी पर शस्त्र अधिनियम की धारा 29 का आरोप नहीं लगाया जा सकता है और उक्त धारा के तहत उच्च न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और उस हद तक उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

19. एक बार जब अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 120-बी और हमारे द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 29 के तहत इस आधार पर अपराध से दोषमुक्त हो जाता है कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि उसके द्वारा जानबूझकर और स्वेच्छा से आग्नेयास्त्र को अलग किया गया था और यह कि सह-अभियुक्त द्वारा उसकी जानकारी के बिना इसे ले लिया गया था और अपराध करने में इसका उपयोग किया गया था, तो शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत भी अपीलार्थी को दोषी ठहराने और दंडित करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है। शस्त्र अधिनियम की धारा 30 निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" धारा 30-लाइसेंस या नियम के उल्लंघन के लिए दंड।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जो कोई लाइसेंस की किसी शर्त या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम में कहीं और कोई सजा का प्रावधान नहीं है, वह कारावास से दंडनीय होगा जो [छह महीने] तक हो सकता है, या जुर्माने से जो [दो हजार] रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा।"

ग

20. चूँकि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की किसी भी शर्त या लाइसेंस की शर्तों या अधिनियम या किसी नियम के किसी भी प्रावधान के जानबूझकर उल्लंघन को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए वह धारा 30 के अपराध से भी दोषमुक्त होने के लिए उत्तरदायी है।

डी.

21. तथ्यों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस अपील की अनुमति दी जाती है और शस्त्र अधिनियम की धारा 29 और 30 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने वाले उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को खारिज कर दिया जाता है।अपीलार्थी को उसके खिलाफ आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

ई.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

च

जी.

एच.